संख्याः 3004 / I / 2005–04 / (3) / 25 / 05

प्रेषक,

एन0रविशंकर
सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

सचिव,
उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग,
देहरादून ।

ऊर्जा विभाग

देहरादूनः दिनांकः 30 जून, 2005

विषय– उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0 को सरप्लस विद्युत राज्य से बाहर विक्रय की अनुमति विषयक नीतिगत निर्देश।

महोदय,

उक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि परीक्षण के रुप में तीन माह की अवधि (वर्तमान वित्तीय वर्ष में 01 जुलाई, 2005 से 30 सितम्बर, 2005 की अवधि) में उत्तरांचल जल विद्युत निगम द्वारा अपने विद्युत गृहों से उत्पादित एवं टैरिफ आदेश 2005–06, दिनांकः 25–4–05 में इंगित माहवार आधार पर उत्तरांचल पावर कारपोरेशन को राज्य के उपभोक्ताओं के लिए उपलब्धता तथा बैकिंग आवश्यकता की पूर्ति के उपरान्त सरप्लस विद्युत की राज्य से बाहर विक्रय करने हेतु अनुमति विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108 के अन्तर्गत नीतिगत निर्देश के रूप में निर्गत करने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिनांक 25–04–2005 को पारित टैरिफ आदेश 2005–06 में इंगित विवरणानुसार उक्त अवधि में प्रत्येक माह में उत्तरांचल जल विद्युत निगम से उत्तरांचल पावर कारपोरेशन को विद्युत अवश्य उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) उक्त अवधि में टैरिफ आदेश में इंगित विवरणानुसार उत्तरांचल पावर कारपोरेशन द्वारा माहवार निर्धारित विद्युत की बैकिंग भी अवश्य की जायेगी।

(3) उत्तरांचल पावर कारपोरेशन द्वारा उपभोक्ताओं को 24 घटा विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

(4) इस व्यवस्था के अधीन उत्तरांचल पावर कारपोरेशन द्वारा अतिरिक्त विद्युत क्रय मूल्य वहन करने पर प्रति यूनिट उपभोक्ता टैरिफ बढ़ने अथवा UPCL द्वारा अतिरिक्त लागत वहन करने की स्थिति में शासन द्वारा कोई अनुदान/ वित्तीय सहायता उत्तरांचल पावर कारपोरेशन एवं/अथवा उपभोक्ताओं को प्रदान नहीं की जायेगी।

(5) इस व्यवस्था में सरप्लस विद्युत के आंकलन हेतु सर्वप्रथम उत्तरांचल जल विद्युत निगम के समस्त लघु जल विद्युत गृहों तथा अन्य ऐसे विद्युत गृहों (25 मेगावाट से न्यून) की उत्पादित विद्युत को लिया जायेगा जिस हेतु अभी उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग के समक्ष उत्तरांचल जल विद्युत निगम द्वारा टैरिफ याचिका प्रस्तुत नही की गई है। इन विद्युत गृहों (25 मेगावाट से न्यून) की विद्युत के उपरान्त भी यदि सरप्लस विद्युत शेष होती है तो उत्तरांचल जल विद्युत निगम के अन्य विद्युत गृहों (25 मेगावाट से अधिक) की उत्पादित विद्युत को भी माहवार आधार पर सम्मिलित किया जायेगा।

(6) उक्त शर्तें तभी प्रभावी होंगी अथवा उसी सीमा तक मान्य होंगी जिस अनुसार उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग के उक्त टैरिफ आदेश में इंगित माहवार विद्युत आपूर्ति उत्तरांचल जल विद्युत निगम द्वारा उत्तरांचल पावर कारपोरेशन को की जायेगी तथा उत्तरांचल पावर कारपोरेशन द्वारा उक्त टैरिफ आदेश में वर्णित माहवार विद्युत बैंकिंग की जायेगी।

(7) उक्त के साथ–साथ उत्तरांचल शासन/भारत सरकार/उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग के सम्बन्धित आदेशों का अनुपालन हो।

2– इस विषय पर पूर्व में निर्गत निर्देश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे एवं शेष निर्देश यथावत रहेंगे।

भवदीय

(एन०रविशंकर)
सचिव

——3

संख्याः 3004 / I / 2005–04 / (3) / 25 / 05,दिनांकित
प्रतिलिपिः–

1– सचिव, ऊर्जा, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली।

2– प्रमुख सचिव–मा0 मुख्य मंत्री जी को मा0 मुख्य मंत्री जी के संज्ञानार्थ।

3– निजी सचिव–मा0 ऊर्जा राज्य मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।

4– मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।

5– अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।

6– महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून।

7– सचिव, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) 7वां तल कोर–3 स्कोप काम्पलैक्स 7 इन्सिटट्यूशनल एरिया, लोधी रोड नई दिल्ली।

8– प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन देहरादून।

9– सचिव, नियोजन, उत्तरांचल शासन देहरादून।

10– अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल जल विद्युत निगम देहरादून ।

11– अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 देहरादून।

12– प्रबन्ध निदेशक, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन आफ उत्तरांचल, देहरादून।

13– निदेशक, NIC सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से

(डा0एम0सी0जोशी)
अपर सचिव